



राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

माघ 27, गुरुवार, शाके 1944-फरवरी 16, 2023
Magha 27, Thursday, Saka 1944- February 16, 2023

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**FINANCE (SPFC) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Jaipur, February 16, 2023**

G.S.R.134 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 32 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.1(8)/FD/GF&AR/2011 dated 04 September,2013, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

- (i) the existing serial number 53and entries thereto shall be deleted; and
- (ii) the existing serial number 55and entries thereto shall be deleted.

**[F. 2(1)/FD/SPFC/2017]
By Order of the Governor,**

Manish Mathur,
Joint Secretary to the Government.



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

चैत्र 06, सोमवार, शाके 1945-मार्च 27, 2023
Chaitra 06, Monday, Saka 1945- March 27, 2023

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2023

जी.एस.आर.134.—राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 16-02-2023 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (एसपीएफसी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 16, 2023

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफडी/जीएफएण्डएआर/ 2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) विद्यमान क्रम संख्यांक 53 और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी; और
(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 55 और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।

[एफ.2(1)एफडी/एसपीएफसी/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.